an>

Title: Need to take measures to effectively extend the benefits of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana to farmers.

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) ः हम एक कृषि प्रधान देश में रहते हैं और किसानों को अन्नदाता के रूप में देखते हैं। वर्तमान सरकार द्वारा किसानों को सक्षम बनाने व खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से अनेक किसान हितैषी कार्यक्रमों का संचालन किया गया है, किसानों को कृषि कार्य में सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी युगप्रवर्तक व निर्णायक योजना को प्रारम्भ किया गया है।

योजना को परिणाममूलक स्वरूप देने के लिए तथा हर किसान तक फसल बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए फसल बीमा योजना को अनिवार्य करना होगा, प्रत्येक किसान व हर खेत का वास्तविक व समग्र डाटा तैयार करना होगा साथ ही योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बीमा कम्पनियों के साथ-साथ बैंकों की जवाबदेही तय करते हुए सैटेलाईट व अन्य अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग कर प्रभावी मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करना होगा तभी यह योजना सूखा, अतिवृष्टि, पाला-ओला आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय संजीवनी के रूप में कार्य कर जीवनदायिनी बन सकेगी।